राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर
जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक, सी–स्कीम, जयपुर–302005
दूरभाष सं. 0141–2229514, 2226728 ईमेल : dlbrajasthan@gmail.com वेबसाईट : www.lsgraj.in, www.cmar-india.org

पत्रांकः–भूमि/एफ 7(ड)(41)/डी.एल.बी./16/5697 दिनांकः– 17/10/2017

–:: आदेश ::–

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका, पुष्कर के पत्र सं. 1980 दिनांक 14.10.15 के द्वारा नगर पालिका, मण्डल की बैठक दिनांक 14.05.2015 के प्रस्ताव सं. 2 में लिये गये निर्णय के क्रम में आदर्श विद्या मन्दिर, भारतीय शिक्षा प्रसार समिति, अजमेर को 20 बीघा भूमि रियायती दर पर आवंटन करने की स्वीकृति चाही गई। प्रकरण रियायती दर पर आवंटन का होने के कारण मंत्रीमण्डल के विचारार्थ प्रेषित किया गया।

अतः मंत्रिमण्डल की आज्ञा सं. 156/2017 दिनांक 17.10.2017 की पालना में आदर्श विद्या मन्दिर, भारतीय शिक्षा प्रसार समिति, अजमेर को शैक्षणिक प्रयोजनार्थ ग्राम पुष्कर जिला अजमेर के खसरा सं. 2148/2982 रकबा 9.03 हैक्यर में 20 बीघा भूमि प्रचलित आरक्षित दर की 5 प्रतिशत दर पर आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आज्ञा से,

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

पत्रांकः–भूमि/एफ 7(ड)(41)/डी.एल.बी./16/5698–5707 दिनांकः– 17/10/2017

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव महोदय, मा. मुख्यमंत्री महोदया, राज. जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज. जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय, राज. जयपुर को मंत्रिमण्डल आज्ञा सं. डी.156/मं.मं/2017 दिनांक 17.10.2017 के क्रम में।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
6. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, निदेशालय, जयपुर।
7. जिला कलेक्टर, अजमेर।
8. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर।
9. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पुष्कर (अजमेर)/
10. सुरक्षित पत्रावली।

(मुकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त निदेशक

[Type text]

स्थापित कर संबंधित नगर निकायों द्वारा की गई तैयारियों को स्वच्छ भारत मिशन के पोर्टल पर अपलोड करवाने में सहयोग करेगें तथा एक दिवस मे कार्य पूर्ण नही होने की स्थिति मे अगले दिवस को भी कार्य सम्पन्न किया जावें।

यहां यह उल्लेखनीय है, कि स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत किये गये कार्यो की सूचना पोर्टल पर अपलोड नही किये जाने के कारण निकायों द्वारा की गई कार्यवाही की प्रगति स्वच्छ भारत मिशन के पोर्टल पर नही दिखती है, जिससे राज्य की रेकिंग पर प्रतिकुल प्रभाव पड रहा है।

अभियन्तागण को संबंधित सम्भागीय मुख्यालय/उप निदेशक (क्षैत्रीय) कार्यालय की यात्रा प्राईवेट टेक्सी कार से करने व किराये का भुगतान सम्भाग की किसी भी नगर निकाय से करने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एव संयुक्त सचिव

क्रमांक – एफ 55( )Engg./CE/DLB/ 16/ 14768 - 15009
दिनांक :- 17/10/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
2. संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (SBM), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय निर्माण भवन, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, निदेशक एंव संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
4. निदेशक (स्वच्छता)
5. निजी सचिव, महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
6. जिला कलेक्टर समस्त राजस्थान।
7. मुख्य अभियंता, निदेशालय
8. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय।
9. उप निदेशक (क्षैत्रीय) समस्त को भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार संबंधित से जानकारी स्वच्छ भारत मिशन के पोर्टल पर अपलोड किये जाने की सूचना को संकलित कर निदेशालय को भिजवायें।
10. प्रोगामर निदेशालय विभागीय बेवसाईट पर अपलोड किया जाने हेतु।
11. टीमलीडर, पी.एम.यू. स्वच्छ भारत मिशन, जयपुर।
12. सुरक्षित पत्रावली।

अ.मुख्य अभियंता